राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1264/2020
एवं
(अपील संख्या :– 4475/2019)

महावीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. उप निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू (राज.)।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, झुंझुनू (राज.)।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झुंझुनू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.10.2020
आदेश की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1264/2020 महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अधिकरण के समक्ष उक्त दोनों अपील संख्या 1264/2020 एवं 4475/2019 प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 25.08.2020 एवं 19.09.2019 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से वसूली गई राशि को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक के पद से पंचायत समिति, झुंझुनू से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नाकेदार के पद पर दिनांक 01.10.1984 को हुई थी और संतोषजनक सेवा उपरांत उसे दिनांक 10.10.1986 को नियमित निर्धारित किया गया तथा दिनांक 01.10.1993 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और दिनांक 27.03.2000 को राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवक के पद पर अंर्तलयन किया गया और दिनांक 31.03.2000 को कार्यमुक्त करते हुये अपीलार्थी ने पंचायती राज विभाग में पंचायत समिति, झुंझुनू में ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण किया तथा कार्यग्रहण पश्चात् माह दिसम्बर, 2001 से रूपये 4800/— का भुगतान किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ एवं वेतन निर्धारण किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली आदेश दिनांक 19.09.2019 जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को गलत तरीके से प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को राशि रूपये 4,47,518/— का अधिक भुगतान किया गया है। उनका कथन है कि उक्त वसूली अपीलार्थी से सेवानिवृत्त पश्चात् की गई है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह एआईआर/15 (एससी) 696 जिसमें ऐसे कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति पश्चात् अधिक भुगतान की वसूली किया जाना उचित नहीं माना है। इसी प्रकार डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1550/2020 गोवर्धन सिंह गोदारा बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 27.01.2020 जारी किया गया है और डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8102/2020 राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 15.09.2020 वसूली नहीं किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी की गई वसूली आदेश दिनांक 25.08.2020 एवं 19.09.2019 उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 25.08.2020 एवं 19.09.2019 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से वसूली गई राशि को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नगर परिषद/नगर पालिका

के चुंगी अधिशेष कर्मचारी का पदस्थापन ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर प्रत्यर्थी विभाग के अधीन किया गया। तद्नुसार आदेशों में वर्णित शर्तों को अंगीकार एवं स्वीकार कर दिनांक 01.04.2000 को पंचायत समिति, झुंझुनू में कार्यभार ग्रहण किया। सहवन से अधिक हुये वेतन भुगतान होने के संबंध में वसूली के संबंध में आदेश दिनांक 25.08.2020 जारी किया गया, जो पूर्णतः विधिक है। पेंशन विभाग के आक्षेप के क्रम में समुचित परीक्षण पश्चात् अधिक भुगतान के संबधं में वसूली आदेश जारी किये गये हैं, जो विधि एवं नियमानुसार हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक के पद से पंचायत समिति, झुंझुनू से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नाकेदार के पद पर दिनांक 01.10.1984 को हुई थी और संतोषजनक सेवा उपरांत उसे दिनांक 10.10.1986 को नियमित निर्धारित किया गया तथा दिनांक 01.10.1993 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और दिनांक 27.03.2000 को राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवक के पद पर अंर्तलयन किया गया और दिनांक 31.03.2000 को कार्यमुक्त करते हुये अपीलार्थी ने पंचायती राज विभाग में पंचायत समिति, झुंझुनू में ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण किया तथा कार्यग्रहण पश्चात् माह दिसम्बर, 2001 से रूपये 4800/– का भुगतान किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ एवं वेतन निर्धारण किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली आदेश दिनांक 19.09.2019 जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को गलत तरीके से प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को राशि रूपये 4,47,518/– का अधिक भुगतान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी से आदेश दिनांक 25.08.2020 एवं 19.09.2019 के द्वारा वसूली किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 08.03.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2019 से राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56(अ) के अनुसार राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है और इसके पश्चात् लगभग 6 माह एवं एक वर्ष से अधिक अवधि पश्चात् वसूली आदेश जारी किये गये हैं, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को

पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2020 एवं 19.09.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे

नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। अपील संख्या 1264 / 2020 में अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.10.2020 एवं अपील संख्या 4475 / 2019 में अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2019 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या अपील संख्या 1264 / 2020 महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक में वर्णित अन्य अपील संख्या 4475 / 2019 महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य